12

4186
24/02/2010

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन / Khanij Bhawan, उदयपुर / Udaipur-313001.
दूरभाष / Phones: 2415091-95, फेक्स / Fax: (0294)-2410526

कमांक निदे / भील / सीसी–3 / प.1(1)**33 / 2000** / 591 दिनांक:– 23/2/10

–: आदेश :–

चूंकि इस विभाग के समसंख्यक आदेश कमांक निखाभू / भील / सीसी–11 / प1(1) 33 / 2000 / 2287 दिनांक 2.9.2006 द्वारा सर्वश्री जोगणिया मिनरल्स प्रा0 श्री विष्णुकुमार छीपा निवासी आसीन्द जिला भीलवाडा के पक्ष मे खनिज , फैल्सफार, क्वार्टज निकट ग्राम चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाडा मे क्षेत्र 4.632 हैक्टेयर का खनन पटटा संविदा पंजीयन की दिनांक से 20 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया था ।

खनि अभियन्ता, भीलवाडा ने पत्र दिनांक 10.12.2009 से अवगत कराया हे कि जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा उनके पत्रदिनांक 31.8.2007 से प्रस्तावित खनन क्षेत्र की जांच तहसीलदार रायपुर से करवाई गई । जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित स्वीकृत क्षेत्र के मध्य बिजली लाईन होने तथा पास की आराजी नम्बर 925 मे पौधे की नर्सरी लगी होना व बारानी चेतना केन्द्र भवन स्थित होकर क्षति होने एवं सार्वजनिक आपत्ति को मध्य नजर रखते हुए खनन अनुज्ञा की अनापत्ति जारी की जाना सम्भव नही होने से कार्यवाही समाप्त कर दी गई ।

इस सम्बन्ध मे आवेदक को खनिज अभियन्ता, भीलवाडा द्वारा दिनांक 29.9.2007 से सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुऐ नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना मे आवेदक ने दिनांक 30.10.2007 से अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करके अस्वस्थ होने के कारण अवधि बढाने हेतु निवेदन किया गया । इस सम्बन्ध मे खनि अभियन्ता, भीलवाडा ने पत्र दिनांक 4.2.2008 से जिला कलक्टर, भीलवाडा को पुर्नविचार हेतु निवेदन किया, किन्तु जिला कलक्टर, भीलवाडा से अब तक खनन अनुमति प्राप्त नही हुई है ओर न ही आवेदक ने उनके द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराया है । अतः जिला कलक्टर द्वारा अनापत्ति जारी नही करने के कारण स्वीकृति आदेश रिवोक योग्य है ।

अतः खनिज रियायत नियमावली 1960 के तहत प्रदत्त अधिकारो का उपभोग करते हुऐ निदेशालय के स्वीकृति आदेश दिनांक 2.9.2006 को प्रतिसंहृत (रिवोक) किया जाता है ।

निदेशक, 4/2
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
राजस्थान–उदयपुर ।

कमांक निदे / भील / सीसी–3 / प.1(1)**33 / 2000** / 592 to 602 दिनांक:– 23/2/10

1. खनि अभियन्ता, भीलवाडा को उनके पत्र दिनांक 10.12.2009 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर लेख है कि क्षेत्र पुनः अनुदान हेतु रिक्त घोषित के प्रस्ताव अविलम्ब भिजावे ।

रजि.ए.डी.2. सर्वश्री जोगणिया मिनरल्स, प्रो0 श्री विष्णु कुमार छीपा, भीम रोड, आसीन्द जिला भीलवाडा (राज0) ।

3. महा नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, प्रथम मंजिल, डी. ब्लोक सिविल लाईन, इन्दिरा भवन, नागपुर।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, अजमेर।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर जोन, उदयपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाडा–वृत, भीलवाडा।
7. जिला कलक्टर, भीलवाडा।
8. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. अधीक्षक भूवैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग, के0का0,उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली ।

अधीक्षण खनि अभियन्ता(मु0ा)